



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270846
CG-DL-E-11032026-270846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1211]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1211]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1268(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, (राष्ट्रीय राजमार्ग-326) के कि.मी 68.6 किमी से 162.700 किमी (मोहना-रायपंका-तांडीकोना) और 178.400 से 183.732 (कैलाशकोटा घाट खंड) तक उड़ीसा राज्य के दो लेन के साथ पेव्ड शोल्डर में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-326 पर कि.मी 68.6 किमी से 162.700 किमी (मोहना-रायपंका-तांडीकोना) और 178.400 से 183.732 (कैलाशकोटा घाट खंड) तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार, मोहना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH326 के कि.मी 68.6	उड़ीसा	गजपति	मोहना	1 डेप नाजू

		से कि.मी 109.66 तक				2	राजमा
						3	कंटेइकोली
						4	मोहना
2	तहसीलदार, रामनगुडा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH326 के कि.मी 143 से कि.मी 162.7 तक	उड़ीसा	रायगड़ा	रामनागुडा	1	गुमूडा

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1268(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 68.6 to 162.700 (Mohana-Raipanka-Tandikona) & km 178.400 to 183.732 (Kailashkota ghat section) of (NH326) in the State of ODISHA

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH326 from km 68.600 to 162.700 (Mohana-Raipanka-Tandikanda) & km 178.400 to 183.732 km (Kailashkota ghat section) in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Tahasildar, Mohana	NH326 KM 68.6 TO KM 109.66	ODISHA	GAJAPATI	Mohana	1 Dhepa Naju 2 Rajama 3 Kanteikoli 4 Mohana
2	Tahsildar, Ramanaguda	NH326 KM 143 TO KM 162.7	ODISHA	RAYAGADA	Ramanaguda	1 Gumuda

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director